कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/18878/आरटीई दिशा–निर्देश/2023–24 दिनांक :– 01.04.2023

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2024–25 हेतु निःशुल्क प्रवेश के संबंध में

सार्वजनिक सूचना

शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में एन्ट्री कक्षा–पीपी3+ तथा कक्षा–1 में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक "कमजोर वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के उसी कैचमेन्ट एरिया में निवास करने वाले बालकों को निःशुल्क प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश दिनांक 29.03.2024 को जारी कर दिये हैं, जो स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के प्राइवेट स्कूल पोर्टल **www.rajpsp.nic.in** एवं विभागीय वेबसाईट **education.rajasthan.gov.in/elementary** पर उपलब्ध हैं। निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त कार्य इन दिशा निर्देशों के अनुसार ही सम्पन्न करने हैं। विस्तृत जानकारी हेतु इनका अध्ययन किया जा सकता है।

- विद्यालयों को एन्ट्री कक्षा–पीपी3+ तथा कक्षा–1 में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक "कमजोर वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के उसी कैचमेन्ट एरिया में निवास करने वाले बालकों को निःशुल्क प्रवेश देना होगा। प्रवेश हेतु आयु का विवरण निम्नानुसार है:–

क.सं.	कक्षा का नाम	प्रवेश हेतु आयु
1	Pre Primary 3+ (PP.3+)	3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 4 वर्ष से कम
2	First	6 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 7 वर्ष से कम

उक्त आयु की गणना 31 जुलाई 2024 को आधार मानकर की जायेगी।

- प्रवेश संख्या के 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को आरटीई के तहत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा:–

कक्षा	सःशुल्क बालकों की संख्या	निःशुल्क बालकों की संख्या
PP3+	समस्त नवप्रवेशित सशुल्क बालक	नवप्रवेशित सशुल्क बालकों के 25 प्रतिशत
First	PP5+ से क्रमोन्नत + नवप्रवेशित बालक	(पीपी5 से क्रमोन्नत सशुल्क बालक + नवप्रवेशित सशुल्क बालक)/3–पीपी5 से क्रमोन्नत निःशुल्क बालक

- विद्यालयों को प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही निम्नांकित टाइम फ्रेम के अनुसार पूरी करनी है :–

क.सं.	विवरण/गतिविधि	टाइमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	दिशा–निर्देश जारी होने के तत्काल बाद	निदेशालय व सम्बन्धित निजी विद्यालय
2	संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना	02 अप्रेल 2024 तक	संबंधित विद्यालय
3	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना।	03 अप्रेल 2024 से 21 अप्रेल 2024 तक	संबंधित अभिभावक
4	ऑनलाईन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण करना	23 अप्रेल 2024	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
5	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। *(विद्यालय चयन क्रम को बदलना)*	23 अप्रेल 2024 से 30 अप्रेल 2024 तक	अभिभावकों द्वारा
6	विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करना (प्रथम चयनित विद्यालय द्वारा)	23 अप्रेल 2024 से 06 मई 2024 तक	गैर सरकारी विद्यालय

7	अभिभावक द्वारा दस्तावेजों में संशोधन करना।	23 अप्रैल 2024 से 23 मई 2024 तक	अभिभावकों द्वारा
9	विद्यालय द्वारा Request किये जाने(बालक द्वारा दस्तावेज रि–अपलोड नहीं करने पर)/अभिभावक द्वारा संशोधन किये जाने पर सीबीईओ द्वारा जांच करना।	23 अप्रैल 2024 से 17 मई 2024 तक	सीबीईओ द्वारा
10	शेष समस्त आवेदन ऑटोवेरिफाई करना।	20 मई 2024	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
11	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना (प्रथम चरण आवंटन)	21 मई 2024 से 25 जुलाई 2024 तक	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
12	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना (द्वितीय चरण आवंटन)	26 जुलाई 2024 से 16 अगस्त 2024 तक	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
13	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना (अशुल्क बालकों के प्रवेश एवं बालक के वरीयता के आधार पर) (अन्तिम चरण)	17 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा

- अभिभावकों एवं गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा समस्या समाधान हेतु सम्पर्क सूत्र :–

E-MAIL :- ddrtebikaner132@gmail.com / rajpsphelp@gmail.com
Help line number :- 0151-2220140 / 0141-2719073

(सीताराम जाट)
IAS
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

RajKaj Ref
6417793

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2024.04.01 17:58:27 IST
Reason: Approved